

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 5/13

संस्थापन दिनांक:-07/01/13

फाईलिंग नं. 233504000502013

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रु द्ध

सुरेंद्र उर्फ पिल्ला पिता भैय्यालाल कलार
उम्र 22 वर्ष, निवासी मटन मार्केट के पीछे आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 19.06.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 06.01.2013 को दिन में 10:30 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल चौराहा आमला में लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 06.01.2013 को नगर निरीक्षक आर.के. दुबे को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पीर मंजिल चौराहा आमला में खुली लोहे की छुरी हाथ में लहराते हुए आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां एक व्यक्ति हाथ में लोहे की छुरी लिये लोगों को डराते धमकाते मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पिल्ला उर्फ सुरेंद्र पिता भैय्यालाल बताया तथा लोहे की छुरी रखने के संबंध में कागजात नहीं होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के

विरुद्ध अपराध क्र. 4/13 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.01.2013 को दिन में 10:30 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल चौराहा आमला में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 आर.के. दुबे (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 06.01.2013 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ मटन मार्केट के पीछे आमला पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में छुरी लिए घूम रहा था। जिसे घेराबंदी कर पकड़कर अभियुक्त के कब्जे से एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श पी-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 4/13 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए1 की छुरी वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त की थी।

6 रामराव (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि दिनांक 06.01.2013 को थाना आमला में नगर सैनिक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को कस्बा भ्रमण के दौरान टी.आई. साहब को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह पीर मंजिल गया था जहां एक व्यक्ति हाथ में लोहे की छुरी लिए लोगों को डरा धमका रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़ने पर उसने अपना नाम सुरेंद्र उर्फ पिल्ला बताया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में लायसेंस नहीं होना

बताये जाने पर अभियुक्त से मौके पर जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी थी।

7 प्रकरण में जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी विक्की एवं संजू के अदम पता हो जाने के कारण उनके कथन न्यायालय में नहीं करवाये गये हैं। अभिलेख पर आर.के. दुबे (अ.सा.-2) एवं रामराव (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 आर. के. दुबे (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर मौके पर जाना तथा गवाहों के समक्ष अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त कर उसे गिरफ्तार करना एवं थाने आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। रामराव (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह थाना प्रभारी दुबे साहब के साथ कस्बा भ्रमण पर था। सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे तब अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिये लोगों को डरा रहा था। टी.आई. साहब ने जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। प्रतिपरीक्षण में आर.के. दुबे (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में मूल रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं। रामराव (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि मुखबिर से सूचना मिलने पर वह गवाह विक्की और संजू को साथ लेकर पहुंचे थे। स्वतः कहा कि वह मौके पर ही मिले थे।

9 आर.के. दुबे (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह मौके पर हमराह स्टाफ एवं गवाह के साथ पहुंचा था। जबकि हमराह स्टाफ रामराव (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि गवाह मौके पर मिले थे। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त के कथित आयुध को जप्त कर मौके पर सीलबंद किया गया हो। जप्ती पत्रक में जप्ती का समय 10:30 लेख है तथा गिरफ्तारी का समय 10:40 बजे लेख है। मात्र 10 मिनट में अभियुक्त से जप्तशुदा आयुध की नापजोप करना, उसे मौके पर सीलबंद करना, जप्ती प्रपत्र तैयार करना, तत्पश्चात गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार करना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। प्रकरण में मूल रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों में अपराध क्रमांक भी पूर्व से लेख है जिससे इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरान्त तैयार किये गये होंगे। उपर्युक्त परिस्थितियों

में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 06.01.2013 को दिन में 10:30 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल चौराहा आमला में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ पिल्ला को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)